

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 260- 265 OF CODE OF CRIMINAL  
PROCEDURE, 1973IN THE COURT OF PANKAJ SHARMA JUDICIAL MAGISTRATE FIRST  
CLASS, GOHAD DISTRICT BHINDCASE NO. 10221 / 2016COMPLAINT/REPORT made on 03-12-2016

Name and address of the complainant: मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ जिला भिण्ड म.प्र।

Name, parentage, caste and address of accused

राहुल जैन १/६ भाग्यन्द जैन उम्र २५ साल  
नि० बार्ड पु० १ अंवारी मोहल्ला का स्वा मौ

The offense complained of, date of its alleged commission

कि आपने राहुल जैन दिनांक 19-11-16 समय  
11:00 बजे स्थान बलेश्वर मौ

मौ, जिला-भिण्ड पर हाथ ठेला लगाकर/अन्य प्रकार से आम जनता के आवागमन में व्यवधान कारित किया।

और ऐसा कर आपने वह अपराध किया जो धारा 34 पुलिस एक्ट के अधीन होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

पंकज शर्मा

जे.एम.एफ.सी. गोहद जिला भिण्ड

The Plea of accused and his examination (If Any)

धारा 206 द.प्र.सं का संमंस बाद तामील प्राप्त जिसमें अभियुक्त ने लिखित अभिवाक् कर स्वेच्छया से अपराध को का स्वीकार किया अभिवाक् पृथक से संलग्न है।

पंकज शर्मा

जे.एम.एफ.सी. गोहद जिला भिण्ड

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम-क्लास  
गोहद जिला-भिण्ड (म.प्र.)

( आज दिनांक : 03/12/16 निर्णय को पारित किया गया )

01. उपरोक्त अभियुक्त को स्वेच्छया पूर्वक की गयी स्वीकारोक्ति के अभिवाक् के परिणामस्वरूप धारा 34 पुलिस एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

02. आरोपी को धारा 34 पुलिस एक्ट के आरोप में दस रुपये (10/रु) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

03.. प्रकरण में आरोपी निरोध में नहीं रहा है।

पंकज शर्मा  
जो एम एफ सी गोहद जिला भिण्ड  
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)